Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **डूंगरपुर में 2 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गये जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता के कोटा स्थित निवास की तलाशी में मिले 9 लाख 22 हजार रुपये नकद सहित 4 करोड़ 16 लाख रुपये से अधिक की चल–अचल सम्पत्ति का खुलासा**
- **मौके पर कार्यवाही जारी, ए.सी.बी. पृथक् से दर्ज करेगी आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का प्रकरण**

जयपुर, *18 दिसम्बर, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर डूंगरपुर इकाई द्वारा कल दिनांक 17–12–2024 को कार्यवाही करते हुये **अनिल कछवाहा अधीक्षण अभियंता, जलदाय विभाग, जिला डूंगरपुर** को परिवादी से **2 लाख रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। कार्यवाही के पश्चात् ए.सी.बी. की कोटा शहर टीम द्वारा आरोपी अधीक्षण अभियंता के कोटा स्थित आवास की तलाशी ली गई तो तलाशी में आरोपी के निवास से आरोपी द्वारा परिवादी से पूर्व प्राप्त रिश्वत राशि **1 लाख रुपये सहित कुल 9 लाख 22 हजार रुपये** नकद सहित **4 करोड़ 16 लाख से अधिक** की चल–अचल सम्पत्ति के दस्तावेज मिले हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की डूंगरपुर इकाई द्वारा आरोपी अधीक्षण अभियंता को रंगे हाथों गिरफ्तार करने के पश्चात् एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री अनिल कयाल** के सुपरविजन में एसीबी की कोटा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय स्वर्णकार** के नेतृत्व में ए.सी.बी. टीम द्वारा आरोपी अनिल कछवाहा अधीक्षण अभियंता के कोटा स्थित आवास की तलाशी ली गई।

तलाशी में आरोपी के निवास से **9 लाख 22 हजार रुपये** नकद राशि, **एक करोड़ 87 लाख रुपये** से अधिक की एफ.डी.आर. एवं बचत पत्र, **एक करोड़ 16 लाख रुपये** कीमत के दो भूखण्डों के दस्तावेज, **88 लाख 32 हजार रुपये** की राशि बैंक खातों में जमा सहित कुल **4 करोड़ 16 लाख से अधिक** की चल–अचल सम्पत्ति के दस्तावेज मिले हैं।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में मौके कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पृथक् से आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।